कार्यालय पुलिस अधीक्षक, चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

चन्दौली पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पंजाब से बिहार तस्करी कर ले जायी जा रही 663 पेटी में कुल 5898.600 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार।

लोहे के गुप्त केबिन और लकड़ी के बुरादे में छिपाकर ले जाई जा रही 663 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने तस्करों का 'मास्टर प्लान' किया फेल

पंजाब से बिहार जा रही अवैध शराब की खेप चन्दौली पुलिस ने पकड़ी, गुजरात के दो शातिर तस्कर गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय, थाना चन्दौली व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना चन्दौली व सर्विलांस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्यो के आधार पर नवीन मंडी समिति गेट के पास चेकिंग के दौरान पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 663 पेटी (5898.600 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ते हुए 02 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु अ स-344/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही

दिनांक-25.06.2026 को थाना चन्दौली पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्यो के आधार पर पुलिस टाम द्वारा नवीन मंडी समिति गेट के सामने वाराणसी-बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन वाहन चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद संदिग्ध ट्रक संख्या JH16K6822 को रोककर चालक एवं सहचालक से पूछताछ की गई। प्रारम्भ में दोनों द्वारा वाहन में लकड़ी का बुरादा लदा होना बताया गया, किन्तु जब चेक किया गया तो ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाई गई लोहे की केबिन में तथा चारों ओर लकड़ी के बुरादे की आड़ में पंजाब राज्य से अवैध अंग्रेजी शराब पटना (बिहार) ले जाई जा रही थी। चालक एवं सहचालक की पहचान 1.हितेश पुत्र रामबाई देसाई, निवासी जसोधानगर, थाना बटवा GIDC, जिला अहमदाबाद, गुजरात, उम्र लगभग 42 वर्ष। व 2.उमेश पुत्र अर्जुन भाई परमार, निवासी विंजोल फाटक, थाना बटवा GIDC, जिला अहमदाबाद, गुजरात, उम्र लगभग 26 वर्ष के रुप में हुई। तलाशी के दौरान ट्रक में लोहे का एक गुप्त केबिन बनाया गया था, जिसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा भरा गया

था ताकि शराब की गंध एवं आवाज बाहर न जा सके। केबिन खोलने पर उसमें से विभिन्न ब्राण्ड की कुल 663 पेटी (5898.600 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए मौके से 02 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब लादकर बिहार में ऊँचे दामों पर बिक्री हेतु ले जा रहे थे। पुलिस एवं अन्य एजेंसियों की नजर से बचने के लिए ट्रक के डाले में लोहे का गुप्त केबिन बनाकर उसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा भर दिया गया था, ताकि चेकिंग के दौरान किसी को संदेह न हो। अभियुक्तों ने बताया कि शराब की खेप को सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाने के एवज में उन्हें प्रति चक्कर ₹50,000 तथा बिक्री पर 02 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था। पूछताछ के आधार पर इस अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.हितेश पुत्र रामबाई देसाई, निवासी जसोधानगर, थाना बटवा GIDC, जिला अहमदाबाद, गुजरात, उम्र लगभग 42 वर्ष।

2.उमेश पुत्र अर्जुन भाई परमार, निवासी विंजोल फाटक, थाना बटवा GIDC, जिला अहमदाबाद, गुजरात, उम्र लगभग 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0-344/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चन्दौली कोतवाली जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण

कुल 663 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

कुल मात्रा 5898.600 लीटर।

अनुमानित कीमत करीब ₹58 लाख।

एक ट्रक संख्या JH16K6822, जिसमें शराब की तस्करी की जा रही थी।

□पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, थाना अलीनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा।

□महेवा नहर हत्याकांड का सफल अनावरण: प्रेम-प्रसंग में बाधक बने पति की गला रेतकर हत्या, पत्नी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

□जमीन दिखाने के बहाने ले जाकर की गई निर्मम हत्या, पत्नी, प्रेमी व उसके साथी की साजिश का खुलासा।

□आला कत्ल (चाकू) व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद।

घटना-

दिनांक 25.06.2026 को प्रार्थी धर्मानन्द यादव पुत्र धनीराज यादव ग्राम महेवा (बिलारीडीह) थाना अलीनगर व जिला चन्दौली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमे बताया गया कि NH-19 हाईवे बिलारीडीह अन्डर पास से महेवा गौरी माइनर के पश्चिमी तरफ पुलिया (जू०हा० स्कूल के दक्षिण तरफ) के नीचे अज्ञात व्यक्ति को धारदार हथियार से गला रेत कर नहर मे फेका पड़ा है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-396/2026 धारा-103(1),238,61(1)(A) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

शव की शिनाख्ती के क्रम में-

दिनांक 25.06.2026 को वादी रमेश पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम महादेवपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि थाना अलीनगर क्षेत्रान्तर्गत महेवा गौरी माइनर के समीप पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर वह जिला चिकित्सालय चन्दौली स्थित मर्चरी हाउस पहुँचे, जहाँ उन्होंने शव की पहचान अपने छोटे भाई राजेश कुमार पुत्र रघुनाथ उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम महादेवपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

के रूप में की तथा आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी उर्मिला देवी के राहुल शर्मा निवासी लखमीपुर, थाना मुगलसराय से अवैध संबंध थे, जिसका मृतक राजेश कुमार लगातार विरोध करता था। इसी कारण उर्मिला देवी ने राहुल शर्मा तथा उसके सहयोगी विनोद पाल के साथ मिलकर पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत दिनांक 24.06.2026 को राजेश कुमार को जमीन/कार्य के बहाने घर से बुलवाया। इसके उपरांत तीनों ने महेवा नहर पुलिया के समीप ले जाकर धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को नहर में फेंक दिया।

चन्दौली- उच्चाधिकारी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शुक्ल थाना अलीनगर के नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिय टीम द्वारा ग्राम पंचफेडवा में मौजुद थें कि मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्त मोटरसाइकिल से रिंग रोड के रास्ते बिहार भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने रेवसा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात वाराणसी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को जब रुकने का इशारा किया गया, तो भागने के प्रयास में बाइक असंतुलित होकर गिर गई तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दीकर 02 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। जिनकी पहचान 1.जितेन्द्र शर्मा उर्फ राहुल पुत्र कैलाश प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम लखमीपुर कैथापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष व 2.विनोद पाल पुत्र स्व0 हीरालाल पाल निवासी ग्राम लखमीपुर कैथापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 51 वर्ष के रुप में हुई। अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा के कब्जे से उसके पिट्ठू बैग में रखा घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित धारदार चाकू, हत्या के समय पहने गए रक्तरंजित कपड़े, एक सैमसंग मोबाइल फोन एवं नकद रुपये बरामद हुए। अभियुक्त विनोद पाल के कब्जे से एक वन प्लस मोबाइल फोन एवं नकद रुपये बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP65BY1092 भी कब्जे में ली गई। घटना में संलिप्त अभियुक्ता उर्मिला देवी पत्नी राजेश कुमार निवासिनी ग्राम महादेवपुर थाना मुगलसराय जिला चन्दौली को उसके घर से किया गया गिरफ्तार

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व नियोजित योजना-

दिनांक 24.06.2026 को उर्मिला देवी ने अपने पति राजेश कुमार को जमीन खरीदने के बहाने जितेन्द्र शर्मा के साथ भेजा। जितेन्द्र शर्मा पहले से ही एक धारदार चाकू अपनी मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले गया था। तीनों लोग मोटरसाइकिल से विभिन्न स्थानों पर जमीन देखने के बहाने घूमते रहे। इस दौरान चकिया तिराहे पर राजेश कुमार ने शराब खरीदी और उसका सेवन किया। देर शाम महेवा नहर के पास पहुंचने पर उसने शेष शराब भी पी ली, जिससे वह अत्यधिक नशे की हालत में हो गया। इसका लाभ उठाकर दोनों अभियुक्त राजेश कुमार को नहर की पुलिया तक ले गए। वहां विनोद पाल ने राजेश कुमार को पकड़ लिया तथा जितेन्द्र शर्मा ने पहले से छिपाकर रखे चाकू से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों अभियुक्तों ने शव को नहर में फेंक दिया और घटना में प्रयुक्त चाकू तथा रक्तरंजित कपड़ों को अपने साथ लेकर घर लौट गए।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा द्वारा बताया कि उसका राजेश कुमार के घर वर्षों से आना-जाना था। इसी दौरान राजेश कुमार की पत्नी उर्मिला देवी से प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध की जानकारी होने पर राजेश कुमार एवं उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा। उर्मिला देवी अपने पति को अपने प्रेम संबंध में बाधक मानती थी। पति राजेश कुमार को रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तथा इसके एवज में ₹10,000 देने का भी लालच दिया। अभियुक्त ने अपने मित्र विनोद पाल को पूरी योजना बताई। जिसे जमीन खरीदने के बहाने ले जाकर शराब पिलाया फिर देर शाम महेवा नहर के पास दोनों ने मिलकर राजेश कुमार की हत्या करने की साजिश रची। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अगले दिन जब महेवा नहर से शव बरामद होने तथा पुलिस जांच की सूचना सोशल मीडिया एवं क्षेत्र में फैलने लगी, तब हम दोनों ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, रक्तरंजित कपड़े एवं अन्य साक्ष्यों को नष्ट करने तथा बिहार भाग जाने की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से दिनांक 26.06.2026 को दोनों अभियुक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल से बिहार की ओर जा रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.जितेन्द्र शर्मा उर्फ राहुल पुत्र कैलाश प्रसाद शर्मा, (उम्र करीब 30 वर्ष) निवासी: ग्राम लखमीपुर कैथापुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2.विनोद पाल पुत्र स्व0 हीरालाल पाल, (उम्र करीब 51 वर्ष) निवासी: ग्राम लखमीपुर कैथापुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

3.उर्मिला देवी पत्नी राजेश कुमार निवासिनी ग्राम महादेवपुर थाना मुगलसराय जिला चन्दौली

बरामदगी विवरण-

01 खून लगा धारदार नुकीला चाकू

01 सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर UP65BY1092)

घटना के समय पहने हुए खून से लथपथ कपड़े (एक काली शर्ट और एक नीली जींस)।

02 मोबाइल फोन (सैमसंग व वन प्लस) और कुल ₹870 नगद।